

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2563

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष प्रणालियों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना

2563. श्री मुकुल वासनिक:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में सुधार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान आयुष संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के लिए कुल कितनी निधि परिषद-वार आवंटित, संस्वीकृत और प्रयुक्त की गई;
- (ग) क्या सरकार ने आयुष औषधियों के नैदानिक परीक्षणों और वैज्ञानिक प्रमाणन के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या सहभागिता स्थापित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक आयुष ज्ञान के साथ आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों को एकीकृत करने के लिए बनाए गए संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से 'आयुर्जान योजना' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। आयुर्जान योजना के अंतर्गत 'आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार' तथा 'आयुर्वेद जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान (एबीआईएचआर)' घटकों के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से आयुष चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान कार्यों के संचालन हेतु योजना के दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार देशभर के पात्र संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एबीआईएचआर घटक के प्राथमिकता क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो मूलभूत विज्ञानों का पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकरण करके आयुर्वेद के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक एबीआईएचआर के अंतर्गत, कुल 11 उच्च स्तरीय अनुसंधान परियोजनाओं को 58.28 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, 'आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार' घटक के अंतर्गत गत तीन वर्षों में 11.82 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 73 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के अधीन अनुसंधान परिषदें, अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएच), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरयूएम), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएस) तथा केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सीसीआरवाईएन) भी अपने अनुसंधान संस्थानों/उपचार केंद्रों/परिधीय इकाइयों के माध्यम से नैदानिक अनुसंधान, औषधि परीक्षण, औषधि सत्यापन, औषधि प्रमाणीकरण, औषधि मानकीकरण, जन स्वास्थ्य अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान तथा महामारी संबंधी अनुसंधान जैसी अनुसंधान गतिविधियों का आयोजन करती हैं।

(ख): अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों के लिए परिषदों को गत तीन वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान आवंटित/जारी तथा उपयोग की गई कुल धनराशि का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा का आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के साथ एकीकरण किए जाने को सरल बनाने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

- (i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 10 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में 'रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण-11 (आईसीडी-11)' के 'पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल-2' का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए रुग्णता (मॉर्बिडिटी) संबंधी कोडों को आईसीडी-11 में शामिल करना संभव हुआ है, जिससे स्वास्थ्य सूचना प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा का मानकीकृत प्रलेखन एवं प्रतिवेदन सुगम हुआ है।
- (ii) आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के संबंध में डब्ल्यूएचओ मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली को तैयार एवं प्रकाशित किया गया। यह वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली प्रदान करती है, जो नैदानिक अभ्यास, शिक्षा, अनुसंधान तथा नीति-निर्माण में सहायता प्रदान करती है।
- (iii) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानकीकृत शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता-सुनिश्चित नैदानिक अभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुर्वेद एवं यूनानी के प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधी बेंचमार्क दस्तावेज (2022) भी डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित किए गए।
- (iv) डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार 'योग प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ तकनीकी प्रतिवेदन' योग प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करता है, जिससे योग की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में उसके वैश्विक एकीकरण को सुदृढ़ किया जाता है।
- (v) गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (जीटीएमसी) की स्थापना एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य साक्ष्य सृजन, अनुसंधान और नवाचार सुदृढ़ करना तथा पारंपरिक चिकित्सा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों में एकीकरण करना है।
- (vi) पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान, विनियमन, गुणवत्ता आश्वासन तथा एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- (vii) वैश्विक सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों तथा डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल पर अंतरराष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें भारत में वर्ष 2023 और 2025 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के दो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलनों को भी शामिल किया गया है, जिनमें वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण पर बल दिया गया।
- (viii) आयुष पीठों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संगठनों के साथ संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग को सुगम बनाया जा रहा है, जिससे एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान तथा नैदानिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल रहा है।

नैदानिक परीक्षणों और परीक्षणाधीन औषधियों के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए, सीसीआरएस ने जर्मनी के चैरिटी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर “इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी आफ आयुर्वेद एज़ ए होल ट्रीटमेंट सिस्टम इन ओस्टियोअर्थराइटिस आफ द नी-ए मल्टीसेंटर, रैंडमाइज्ड कंट्रोलड क्लीनिकल ट्रायल बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल आयुर्वेद डायग्नोसिस” शीर्षक से एक अनुसंधान अध्ययन आयोजित किया है।

इसके अतिरिक्त, सीसीआरएस ने होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, इज़राइल, आर्मेनिया, मैक्सिको और ब्राजील के चिकित्सा केंद्रों/अस्पतालों, विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थानों/संगठनों के साथ 12 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और 01 आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इन एमओयू का व्यापक उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ एवं विकसित करना है। इसमें संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, सूचनाओं का आदान-प्रदान, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन आदि शामिल हैं।

सीसीआरएस ने यूनानी चिकित्सा के वैश्विक प्रचार एवं मान्यता के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं:

- दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न केप के साथ एमओयू।
- यूनानी चेयर की स्थापना के लिए बांग्लादेश के हमदर्द विश्वविद्यालय के साथ एमओयू
- यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान एवं विकास के लिए ताजिकिस्तान के साथ एमओयू।
- ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एमओयू।
- संयुक्त अरब अमीरात) यूएई (के अबू धाबी स्थित लोटस होलिस्टिक हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू।

आयुष पद्धतियों का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त 09 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसका उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सहयोग से आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, आयुष पद्धतियों के वैज्ञानिक प्रमाणीकरण को सुदृढ़ करना तथा उनकी व्यापक स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों में, आयुष चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- I. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में सहयोग के लिए, पीसीआईएम एंड एच ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, नई दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द (डीम्ड विश्वविद्यालय), मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर), दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय तथा जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- II. 'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' के प्रचार-प्रसार और सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग के तहत, पीसीआईएम एंड एच ने भारतीय भेषजसंहिता आयोग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- III. आयुर्वेद अनुसंधान में सहयोग को सुदृढ़ करने तथा फार्मकोपियल मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और संयुक्त अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, पीसीआईएम एंड एच ने जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (आईटीआरए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- IV. एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण तथा साक्ष्य-आधारित अनुसंधान अध्ययनों के क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्य के लिए, पीसीआईएम एंड एच ने नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- V. एएसयू एंड एच औषधियों के लिए भेषज संहिता संबंधी मोनोग्राफ, वनस्पति एवं फाइटोकेमिकल संदर्भ मानकों के विकास तथा औषधीय अध्ययनों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए, पीसीआईएम एंड एच ने आयुष परिषदों (सीसीआरएएस, सीसीआरएस, सीसीआरयूएम और सीसीआरएच), सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान (सीआईएमएपी), सीएसआईआर-हिमालयी जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी) तथा सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- VI. पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) के गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, पीसीआईएम एंड एच ने इंडोनेशिया गणराज्य के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- VII. पीसीआईएम एंड एच चयनित हर्बल सामग्रियों के लिए डब्ल्यूएचओ-अंतरराष्ट्रीय हर्बल भेषज संहिता (आईएचपी) हेतु मोनोग्राफ विकसित करने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

गत तीन वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के दौरान परिषद्-वार जारी एवं उपयोग की गई धनराशि का विवरण:

परिषद् का नाम	वर्ष	आवंटित/जारी राशि (करोड़ में)	उपयोग की गई राशि (करोड़ में)
सीसीआरएएस	2023-24	394.90	392.10
	2024-25	469.72	469.72
	2025-26	526.34	526.34
सीसीआरएच	2023-24	141.00	140.93
	2024-25	162.00	162.00
	2025-26	214.00	208.88
सीसीआरवाईएन	2023-24	43.03	40.38
	2024-25	75.64	42.07
	2025-26	46.95	41.60
सीसीआरयूएम	2023-24	174.10	174.10
	2024-25	190.05	190.05
	2025-26	199.00	199.00
सीसीआरएस	2023-24	50.91	47.72
	2024-25	55.94	51.82
	2025-26	71.34	57.23